



2026:AHC:128497

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19831/2026

सुरेंद्र

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: मयंक श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन थाना- चरवा, जिला- कौशाम्बी में मुकदमा अपराध संख्या 61/2026, बी.एन.एस. की धारा 115(2), 103(1), 3(5), 191(2), 191(3) के अंतर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में मिथ्या फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि एफ.आई.आर. में पांच व्यक्तियों रवेन्द्र, सुरजीत, रामलाल, रामानंद और अजीत को नामित किया गया था। सूचनादाता प्रेम कुमार द्वारा दिनांक 02.04.2026 को दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. में आवेदक का नाम नहीं था। सूचनादाता प्रेम कुमार वर्तमान प्रकरण का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी तथा घायल है, किंतु उसने न तो एफ.आई.आर. में और न ही बी.एन.एस. की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में आवेदक का नाम लिया। आगे यह तर्क दिया गया है कि विवेचना के दौरान आवेदक का नाम वर्तमान प्रकरण में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तब जोड़ा गया जब दिनांक 03.04.2026 को कथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भैयन का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने आवेदक सहित चार अन्य व्यक्तियों का नाम जोड़ा तथा अभियुक्तों को सामान्य रूप से मारपीट में संलिप्त बताया गया। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के कब्जे से कथित रूप से एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया, किंतु मृतक के शरीर पर कोई गोली की चोट नहीं लगी है। चिकित्सीय साक्ष्य प्रत्यक्षदर्शी विवरण की संपुष्टि नहीं करता तथा आवेदक को सह-अभियुक्त रवेन्द्र का सगा भाई होने के कारण वर्तमान प्रकरण में नामित किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का वाद एफ.आई.आर. में नामित अन्य सह-अभियुक्तों के वाद से भिन्न है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि आवेदक दिनांक 06.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि अपराध में आवेदक की संलिप्तता के संबंध में अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगते गए कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान किए जाने का वाद बनता है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. पूर्वोक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- सुरेन्द्र को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दायर करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, जब न्यायालय में गवाह उपस्थित हों। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना खुला होगा।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बिना पर्याप्त कारण के, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 229-ए/ बी.एन.एस. की धारा 269 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि, आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82/ बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार भा.द.सं. की धारा 174-ए/ बी.एन.एस. की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) वाद शुरू होने, (2) आरोप विरचित करने और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313/ बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे उल्लंघन को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करना खुला होगा।

8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां साक्षीगण की गवाही के आधार पर स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

22 जून, 2026

ए.पी.पांडेय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।